राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1742/2025

पारूल शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पंचायती राज, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.01.2025
आदेश की दिनांक : 10.03.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अभिमन्यु सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर गोविन्दगढ़ द्वितीय चौमू, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से बाल विकास परियोजना अधिकारी पीपलू, टोंक किया गया है। अपीलार्थी का मुख्य कथन है कि आदेश दिनांक 21.10.2024 (अनुलग्नक–5) द्वारा अपीलार्थी को मातृत्व अवकाश प्रदान किया गया था। अपीलार्थी दिनांक 15.10.2024 से 12.04.2025 तक मातृत्व अवकाश पर है इसलिए अपीलार्थी का स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता जब तक वह मातृत्व अवकाश पर है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायती राज विभाग की बिना अनुमति के किया गया जबकि अपीलार्थी की सेवाएं पंचायती राज विभाग को अन्तरित सेवाओं में आने से यह अनुमति आवश्यक है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करने दिया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से स्पष्ट है कि अपीलार्थी वर्तमान में दिनांक 15.10.2024 से 12.04.2025 तक स्वीकृत मातृत्व अवकाश पर है एवं इस अवधि में आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन आदेश दिनांक 15.03.2024 से कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी के स्थानान्तरण के संबंध में पंचायती राज विभाग की अनुमति लेने का प्रश्न है। आलौच्य आदेश के अन्त में अंकित नोट से स्पष्ट है कि उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। अतः हम आलौच्य आदेश में कोई विधिक त्रुटि या नियमों का उल्लंघन नहीं पाते है। अपीलार्थी के स्वीकृत मातृत्व अवकाश के दृष्टिगत प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश का क्रियान्वयन उनके मातृत्व अवकाश के दौरान नहीं किया जावे। मातृत्व अवकाश स्वीकृति पर कार्यग्रहण करने पर इस आदेश की क्रियान्विति की जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)